तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल जज
12/07/22	पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित। विपक्षीगण अनुपस्थित। विपक्षीगण को कोर्ट समय में तीन बार तीन-तीन आवाजें दिलाई गई। बावजूद आवाजें दिलाने के अनुपस्थित रहने से विपक्षीगण के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही की जाती है। वकील प्रार्थीगण से बहस सुनी। आदेश अलग से लिखवाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया। आदेश की पालनार्थ तहसील जावे। पालना प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली की जावे। पत्रावली निर्णित हुआ होकर दाखिल दफ्तर हो।
	[signature] उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2023.02.13 14:12:36 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी (बाड़मेर)

पीठासीन अधिकारी श्री प्रमोद कुमार आर.ए.एस

प्रकरण संख्याः 84/2022

प्रार्थीगण :–

1. अगराराम पुत्र वालाराम
2. चुनीदेवी पत्नि वालाराम
3. जबराराम पुत्र वालाराम
4. मोबताराम दत्तक पुत्र सालू

   जाति मेगवाल निवासी सोढों की ढाणी, रतनपुरा तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण :–

1. नेथीराम पुत्रजवानाराम
2. हरजीराम पुत्र जवाराराम जाति तीरगर निवासी सोढों की ढाणी
3. उम्मेदा पुत्र रूपा
4. गजा पुत्र रूपा
5. प्रहलाद पुत्र तेजा
6. बाबू पुत्र तेजा
7. भंवरापुत्र रूपा
8. वजा पुत्र रूपा
9. पुरखाराम पुत्र चिमनाराम
10. वगताराम पुत्रचिमनाराम
11. आंबा पुत्र कालू
12. आसू पुत्रतगा
13. उका पुत्र कालू
14. कुम्भा पुत्र कालू
15. कृष्ण पुत्र कालू
16. चेतन पुत्र मिसरा
17. जोरा पुत्र पांचाणा
18. तेजा पुत्र कालू
19. बाबू पुत्र तगा
20. भंवरा पुत्रतगा
21. भाना पुत्र पाचाणा
22. मिरगो पत्नि कालू
23. मोबता पुत्र पाचाणा
24. वजा पुत्र कालू
25. सावला पुत्र पूनमा
26. हुकमा पुत्र पांचाणा
27. पाताराम पुत्र हरजी
28. बाबूराम पुत्र हरजी
29. मोडाराम पुत्र हरजी

    जाति मेगवाल निवासी सोढों की ढाणी तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर
30. तहसीलदार गुड़ामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2023.02.13 14:12:36 IST
Reason: SelfAttested

<u>राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956</u>

–:: आदेश ::–

दिनांक :– 12.07.2022

उपखण्ड अधिकारी

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 रा.भू.रा. अधिनियम हेतु, नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढी का विप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश किया। प्रकरण दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विप्रार्थीगण के विरूद्ध वावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

हमने प्रार्थीगण के अधिवक्ता श्री जगदीश विश्नोई की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अंतिम चौसाला आधार सम्वत 2076–2079 जमाबंदी 2078 (वर्ष 2021) से स्थायी सरहद मौजा सोढों की ढाणी के खेत खसरा नम्बर 481 रकवा 4.1359 हैक्टेयर का अवलोकन किया। जिसमें प्रार्थीगण का नाम बतौर खातेदारी दर्ज है। प्रार्थीगण की भूमि के चारों ओर सीमा चिन्ह व पक्की माठे नहीं होने से काश्त व प्राकृतिक पैदावार लेते समय तनाव व विवाद की स्थिति पडौसी खातेदारों के साथ उत्पन्न हो जाती है जिससे बचने के लिये प्रार्थीगण अपनी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते है। ऐसी स्थिति में दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पक्के नेखम स्थापित करवाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होने एवं प्रार्थीगण विवादित भूमि का राजस्व अभिलेख में खातेदार दर्ज होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गुड़ामालानी को आदेशित किया जाता है दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित खसरा सरहद मौजा सोढों की ढाणी के खेत खसरा नम्बर 481 रकबा 4.1359 हैक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में सीमाज्ञान करवाकर चारों ओर पक्के नेखम स्थापित करावें। पक्के नेखम स्थापित करवाने हेतु तहसीलदार गुड़ामालानी को 500/– शुल्क पर कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर शुल्क प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे। आवश्यकता होने पर तहसीलदार गुड़ामालानी को थानाधिकारी पुलिस थाना गुड़ामालानी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार गुड़ामालानी बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रे[illegible] तहरीर जारी हो। पालना प्रतिवेदन प्राप्त होने पर शामिल [illegible] पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2023.02.13 14:12:36 IST
Reason: SelfAttested

आदेश आज दिनांक 12/7/22 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(प्रमोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
गुड़ामालानी
उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी